न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/45/2018	11–05–2018	22–04–2019

1– धर्मसिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम वजीरपुर तहसील व जिला गुडगावां हरियाणा।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, अलवर जिला अलवर राज0।
2– दलेर सिंह पुत्र अमर सिह जाति सिक्ख,
3– तेजपाल सिंह पुत्र अमर सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 01.07.2015 नामान्तकरण संख्या 486 ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री के. जी. खण्डेलवाल –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 01.07.2015 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 486 ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर बेजा तौर पर खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 1307 के श्री अमर सिंह पुत्र ईसर सिंह से उसके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 0.28 है0 में से 17/28 भाग किस्म नहरी द्वितीय खरीद की थी। उक्त आराजी पर दिनांक 07.04.2014 यानि वक्त खरीद से मिन अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अमर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज कानूनी वारिसान रैस्पो0 नं0 2 व 3 है। इसी प्रकार मिन अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 1308 श्री दलेर सिंह रैस्पों0 संख्या 2 से उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.46 है0 में से 1/2 भाग में से 1/2 किस्म नहरी द्वितीय ग्राम लिवारी तहसील अलवर खरीद की थी। वक्त खरीद से मिन अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 1309 के जरिये दिनांक 07.04.2014 को रैस्पो0 संख्या 2 से आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0.16 है0, 226 रकबा 0.33 है0, 257 रकबा 0.28 है0, 269 रकबा 0.26 है0 जिसमें से विक्रेता का 2 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी में दर्ज है में से 17 बिस्वा आराजी ग्राम लिवारी तहसील अलवर खरीद की है। मिन अपीलांट का वक्त खरीद से कब्जा चला आ रहा है। तीनों विक्रय पत्र के खरीद की गई आराजी का इंतकाल संख्या 486 दर्ज किया गया एवं जो वास्ते तस्दीक ग्राम पंचायत केसरपुर को पेश किया गया किन्तु ग्राम पंचायत ने काफी समय तक इंतकाल पर कोई आदेश नहीं सुनाया गया व विवादित इंतकाल का तहसीलदार अलवर को प्रेषित कर दिया गया। जिसकी मिन अपीलांट को कोई सुचना नहीं दी गई। मिन अपीलांट ने दिनांक 14.08.2015 को ग्राम पंचायत से उक्त इंतकाल के बारे में पता किया तो मिन अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उक्त विवादित इंतकाल का निर्णय दिनांक 01.07.2015 को मिन अपीलांट के खिलाफ खारिज फरमाया गया। जिसकी नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश कर दी गई। विवादित इंतकाल को बिना किसी उचित कारण के खारिज फरमाया है। जो गलत है। उपरोक्त आराजी को मिन अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर खरीद की है। जिसकी नहरी व चाही है और इस प्रकार की आराजी का कानूनन

अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

हस्तानांतरण किया जा सकता है। इंतकाल की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसका इन्द्राज मौका व कब्जा के आधार पर किया जाना आवश्यक है और वक्त खरीद से ही उक्त आराजी पर मिन अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। उक्त इंतकाल खारिज किये जाने से विक्रय शुदा आराजी राजस्व अभिलेख में पुनः विक्रेता के नाम ही रहेगी। जो न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि विक्रेता अपने समस्त हकूक मिन अपीलांट का विक्रय कर चुके है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 01.07.2015 तहसीलदार अलवर निरस्त फरमाया जाकर विवादित इंतकाल संख्या 486 ग्राम लिवारी तहसील अलवर मिन अपीलांट के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार अलवर ने अपीलांट द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि गतिविधियां करने पर नामान्तरकरण खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार की अकृषि गतिविधियां नहीं की जा रही है जबकि भू0अ0 निरीक्षक भूगोर की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित आराजी पर सीमेंट सड़क निर्माण कर प्लॉटिंग की जा रही है। तहसीलदार अलवर द्वारा किये गये निर्णय नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 01.07.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। तहसीलदार अलवर का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 01.07.2015 यथावत रखा जाता है। अपील अपीलांट विरूद्ध तहसीलदार अलवर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22–04–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)